राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 487/2023

सीताराम जाट —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, कार्यालय, संभागीय संस्कृत शिक्षा, अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. ओमप्रकाश धानका, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल—1 संस्कृत, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ढाणी बिलेडा, कोटपुतली, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.01.2022
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड—3 के पद पर कार्यालय, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.12.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ढाणी, धुलेडा, जयपुर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.10.2022 (अनुग्नक—2) के द्वारा राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जेडीए कॉलोनी, भांकरोटा, जयपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ढाणी, धोलेडा जयपुर में किया गया था तथा दो माह पश्चात् ही अपीलार्थी की प्रार्थना पर आलौच्य आदेश दिनांक 28.12.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ढाणी, धोलेडा जयपुर से कार्यालय, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर में समंजित (Accommodate) करने के उदेश्य से किया गया, जो प्रशासनिक एवं जनहित में किया जाना नहीं माना जा

सकता। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1873/2022 अशोक कुमार माहेश्वरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा अपील संख्या 2559/2018 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में स्थगन आदेश जारी किया गया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित बताया है (अनुग्नक–3)।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य